

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

मि०न० - 141/2022

अनवान : -



1. विक्रम पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी जनाणा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र दयाराम जाति कुम्हार निवासी जनाणा त० भादरा।
2. कविता पुत्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी जनाणा त० भादरा।
3. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम


उपस्थिति :- श्री धर्मपाल वैरवाल वादीगण
श्री सतवीर बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 18/8/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 97/89 के मु०न० 40 के किला न० 14 ता 17, 24, 25 मु०न० 41 के किला न० 21 मु०न० 52 के किला न० 1, 10, 11, 20 मु०न० 53 के किला न० 4 ता 7, 15, 16 की कुल 4.3010 है० नहरी में प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश के नाम 1/5 हिस्सा, इसी प्रकार चक 2 एमआरएन के खाता सं० 9/21 के मु०न० 10 के किला न० 16, 17, 24, 25 मु०न० 27 के किला न० 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 8, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16 ता 21 मु०न० 38 के किला न० 1/1, 1/2, 2, 7 ता 9, 10/1, 10/2, 13, 14/1, 14/2, 18/1, 18/2 मु०न० 39 के किला न० 4 ता 7, की कुल 8.5520 है० जिसमें नहरी 8.3860 है० नहरी, 0.0750 है० गै०मु० खाला व 0.0910 है० गै०मु० रास्ता में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/5 हिस्सा व इसी प्रकार चक 8 एएमएस के खाता सं० 215/199 के मु०न० 8 के किला न० 22, 23/1, 23/2, 24, 25 मु०न० 31 के किला न० 11, 20 ता 22 मु०न० 32 के किला न० 15, 16, 25 मु०न० 34 के किला न० 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 19/1, 19/2, मु०न० 35 के किला न० 1, 10, 11, 20, 21 की कुल 7.2480 है० जिसमें 6.0480 है० नहरी, 0.0620 है० गै०मु० रास्ता, 1.0120 है० बरानी, 0.1260 है० गै०मु० खाला में प्रतिवादी सं० 01 ओमप्रकाश के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के दादा दयाराम की खातेदारी हुआ करती थी। प्रतिवादी सं० 1 कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं० 1 ता 2 का


उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 2 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी सं० 3 व 4 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।


साक्ष्य वादी में वादी विक्रम पुत्र ओमप्रकाश के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिसमें वर्तमान जमाबंदी के साथ साथ पैतृक जमाबंदी व वारिसान प्रमाण पत्र तस्दीक करवाये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीकी किया जावे जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 1 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 97/89 के मु०न० 40 के किला न० 14 ता 17, 24, 25 मु०न० 41 के किला न० 21 मु०न० 52 के किला न० 1, 10, 11, 20 मु०न० 53 के किला न० 4 ता 7, 15, 16 की कुल 4.3010है० नहरी में प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश के नाम 1/5 हिस्सा, इसी प्रकार चक 2 एमआरएन के खाता सं० 9/21 के मु०न० 10 के किला न० 16, 17, 24, 25 मु०न० 27 के किला न० 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 8, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16 ता 21 मु०न० 38 के किला न० 1/1, 1/2, 2, 7 ता 9, 10/1, 10/2, 13, 14/1, 14/2, 18/1, 18/2 मु०न० 39 के किला न० 4 ता 7, की कुल 8.5520है० जिसमे नहरी 8.3860है० नहरी, 0.0750है० गै०मु० खाला व 0.0910है० गै०मु० रास्ता में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/5 हिस्सा व इसी प्रकार चक 8 एएमएस के खाता सं० 215/199 के मु०न० 8 के किला न० 22, 23/1, 23/2, 24, 25 मु०न० 31 के किला न० 11, 20 ता 22 मु०न० 32 के किला न० 15, 16, 25 मु०न० 34 के किला न० 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 19/1, 19/2, मु०न० 35 के किला न० 1, 10, 11, 20, 21 की कुल 7.2480है० जिसमें 6.0480है० नहरी, 0.0620है० गै०मु० रास्ता, 1.0120है० वारानी 0.1260है० गै०मु० खाला में प्रतिवादी सं० 01 ओमप्रकाश के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। जिसमें प्रतिवादी सं० 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं० 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 2 ने अपना हक हिस्सा अपने पिता प्रतिवादी सं० 1 के हक में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी विक्रम 1/3 हिस्सा जबकि प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश 2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीकी योग्य होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती

है कि रोही मौजा चक 1 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 97/89 के मु०न० 40 के किला न० 14 ता 17, 24, 25 मु०न० 41 के किला न० 21 मु०न० 52 के किला न० 1, 10, 11, 20 मु०न० 53 के


जयप्रकाशपिपरी (राजस्व)
भादरा (जिला-रनुमानगढ़)

किला न० 4 ता 7, 15, 16 की कुल 4.3010 है० नहरी में प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश के नाम 1/5 हिस्सा, इसी प्रकार चक 2 एमआरएन के खाता सं० 9/21 के मु० न० 10 के किला न० 16, 17, 24, 25 मु० न० 27 के किला न० 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 8, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16 ता 21 मु० न० 38 के किला न० 1/1, 1/2, 2, 7 ता 9, 10/1, 10/2, 13, 14/1, 14/2, 18/1, 18/2 मु० न० 39 के किला न० 4 ता 7, की कुल 8.5520 है० जिसमे नहरी 8.3860 है० नहरी, 0.0750 है० गै० मु० खाला व 0.0910 है० गै० मु० रास्ता में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/5 हिस्सा व इसी प्रकार चक 8 एएमएस के खाता सं० 215/199 के मु० न० 8 के किला न० 22, 23/1, 23/2, 24, 25 मु० न० 31 के किला न० 11, 20 ता 22 मु० न० 32 के किला न० 15, 16, 25 मु० न० 34 के किला न० 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 19/1, 19/2, मु० न० 35 के किला न० 1, 10, 11, 20, 21 की कुल 7.2480 है० जिसमें 6.0480 है० नहरी, 0.0620 है० गै० मु० रास्ता, 1.0120 है० वारानी, 0.1260 है० गै० मु० खाला में प्रतिवादी सं० 01 ओमप्रकाश के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में तन्हा प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश की बजाय वादी विक्रम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश 2/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/8/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(शकुंतला चौधरी)

R.A.S

उपसचिव अधिकारी (सामान्य)
जयपुरा (जिला-इंजुमानन्द)

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि०न० - 141/2022

अनवान : -

1. विक्रम पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी जनाणा तहसील भादरा।

वादी

बनाम


1. ओमप्रकाश पुत्र दयाराम जाति कुम्हार निवासी जनाणा त० भादरा।
2. कविता पुत्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी जनाणा त० भादरा।
3. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बैरवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर वैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 97/89 के मु०न० 40 के किला न० 14 ता 17, 24, 25 मु०न० 41 के किला न० 21 मु०न० 52 के किला न० 1, 10, 11, 20 मु०न० 53 के किला न० 4 ता 7, 15, 16 की कुल 4 3010है० नहरी में प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश के नाम 1/5 हिस्सा, इसी प्रकार चक 2 एमआरएन के खाता सं० 9/21 के मु०न० 10 के किला न० 16, 17, 24, 25 मु०न० 27 के किला न० 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 8, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16 ता 21 मु०न० 38 के किला न० 1/1, 1/2, 2, 7 ता 9, 10/1, 10/2, 13, 14/1, 14/2, 18/1, 18/2 मु०न० 39 के किला न० 4 ता 7, की कुल 85520है० जिसमें नहरी 8 3860है० नहरी, 0.0750है० गै०मु० खाला व 0.0910है० गै०मु० रास्ता में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/5 हिस्सा व इसी प्रकार चक 8 एएमएस के खाता सं० 215/199 के मु०न० 8 के किला न० 22, 23/1, 23/2, 24, 25 मु०न० 31 के किला न० 11, 20 ता 22 मु०न० 32 के किला न० 15, 16, 25 मु०न० 34 के किला न० 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 19/1, 19/2, मु०न० 35 के किला न० 1, 10, 11, 20, 21 की कुल 7.2480है० जिसमें 6.0480है० नहरी, 0.0620है० गै०मु० रास्ता, 1.0120है० बाराणी, 0.1260है० गै०मु० खाला में प्रतिवादी सं० 01 ओमप्रकाश के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में तथा प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश की बजाय वादी विक्रम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश 2/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/8/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की




(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़